

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

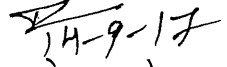
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 14-9-2017

क्रमांक एफ 2-44/2017/सात-2 -:- राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14.08.2017 को जारी स्थानांतरण आदेशों के परिपालन में नायब तहसीलदार/तहसीलदारों को नवीन पदस्थापना स्थान में कार्यभार ग्रहण करने हेतु, तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय भारमुक्त किया जाता है। तथा यह निर्देशित किया जाता है कि बिना ज्वार्डनिंग टाईम का लाभ लिए तत्काल अपने स्थानांतरित स्थल पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा आदेश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

2/ जिन नायब तहसीलदार/तहसीलदारों को न्यायालयीन आदेश के पालन में भारमुक्त नहीं किया गया है, उनके मामलों में यह आदेश प्रभावशील नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

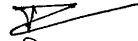

(एन.के. साखा)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
नया रायपुर, दिनांक 14-9-2017

पृ.क्रमांक एफ 2-44/2017/सात-2

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.
 2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर.
 3. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
 4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर
 5. आयुक्त, भू-अभिलेख, छ0ग0 नया रायपुर
 6. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़.
 7. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़.
 8. आदेश नस्ती/गार्ड फाइल।
 9. राजस्व विभाग की वेबसाईट में www.cg.nic.in/revenue में अपलोड हेतु.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग